न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 19/2015 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00164

उनवान

1. रामगोपाल आयु करीब 30 वर्ष
2. भगवानदास आयु करीब 28 वर्ष
3. रामअवतार आयु करीब 32 वर्ष
4. भगवती प्रसाद आयु करीब 22 वर्ष

} पुत्र राधाकिशन जातिगण लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।

5. पार्वती आयु करीब 52 वर्ष वेवा राधाकिशन
6. पार्वती पुत्री केशव पत्नि फूल सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
7. भूरी आयु करीब 57 वर्ष पुत्री केशव पत्नि दीवान सिंह जाति लोधा निवासी ग्राम निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
8. नरोत्तम
9. अन्तराम

} पुत्र केशव जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामदुलारी वेवा ग्यासी जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।
2. सुमेर सिंह
3. विजेन्द्र

} पुत्रगण ग्यासी जातिगण लोधा निवासी ग्राम खेरली तह0 व जिला धौलपुर।

4. लाडो पुत्री ग्यासी पत्नि हेतराम जाति लोधा निवासी ग्राम निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
5. वैजनाथ
6. मंगला
7. रामभरोसी
8. राजू

} नाबालिग पुत्र ग्यासी सरपरस्ती मॉ रामदुलारी जातिगण लोधा निवासी ग्राम खेरली तहसील व जिला धौलपुर।

9. हेतराम पुत्र माखन सिंह जाति लोधा निवासी निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
10. गोपी
11. ल्हौरे

} पुत्र खुमान सिंह } जाति लोधा निवासी ग्राम खेरली तह0 व जिला धौलपुर।

12. पीएनबी बैंक शाखा मनियॉ जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2015 प्रकरण संख्या 18/13 उनवान रामगोपाल बनाम रामदुलारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री योगेश शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री जगदीश प्रसाद राजपूत अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प-धौलपुर

निर्णय दिनांक :–04.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट तथा प्रतिवादी रैस्पो0 सामूहिक रूप से अपने हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त होकर निरन्तर फसल प्राप्त कर रहें हैं। विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड एवं मौके पद किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है। परन्तु अब उभयपक्षकारान द्वारा सामूहिक रूप से काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त करना संभव नहीं रहा है। प्रतिवादी रैस्पो0 के मन में बदनीयती आ चुकी है एवं आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद होता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराया जाकर पृथक–पृथक खाता कायम करते हुयें प्रतिवादी रैस्पो0 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने का निवेदन किया। वाद प्रस्तुत होने पद प्रतिवादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2015 से स्वीकार करते हुये, वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दौराने बहस, बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वाद पत्र उनवानी रामदुलारी बनाम केशव की राजस्व रिकार्ड में आज तक पालना नहीं हुयी है। ऐसी स्थिति मे पूर्व वाद पत्र में पारित निर्णय व डिक्री शून्य व निष्प्रभावी है। उभयपक्षकारान ने पूर्व वाद में पारित निर्णय डिक्री व राजीनामा से परे वर्तमान रिकार्ड के आधार पर विक्रय पत्र निष्पादित किये हैं तथा पूर्व वाद पत्र के निर्णय व डिक्री को कभी नहीं माना लिहाजा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है तथा काबिल खारिजी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि जवाव दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 में अंकित एतराज मात्र जवाब दावा में ही उठाये जा सकते हैं। जिन पर तनकीयात कायम कर एवं साक्ष्य ग्रहण कर मैरिट पर ही निर्णय किया जा सकता है तथा 07 नियम 11 की शक्तियों का प्रयोग न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट कैम्प में अपीलाण्ट व उनके अधिवक्ता की बैक पद बहस का मौका दिये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2009(1) पेज 231, 2014(1) पेज 201, 2011(2) पेज 1395, 2019(1) पेज 117, 2018–19 पेज 105, आरआरडी 14.07.2018 पेज 465 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

के निर्णय को अपास्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि वाद पत्र उनवानी रामदुलारी बनाम केशव की राजस्व रिकार्ड में आज तक पालना नहीं हुयी है। ऐसी स्थिति में पूर्व वाद पत्र में पारित निर्णय व डिक्री शून्य व निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं अपने निर्णय में मानते हैं कि दावा पूर्व में अन्तिम डिक्री हो चुका है परन्तु डिक्री की पालना नहीं हुयी है एवं अन्तिम डिक्री को 14 साल हो चुके हैं। नियमानुसार डिक्री की पालना ना होने पर 12 वर्ष बाद डिक्री स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये, वादी अपीलाण्ट का दावा सरसरी तौर पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का दायरा अत्यन्त सीमित है और केवल वाद पत्र में लिखित अभिकथनो से दावा विधि से वर्जित प्रतीत होने पर ही न्यायालय द्वारा वाद को प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। जवाब दावे में अथवा आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्यों के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता जिसके लिये अतिरिक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना आवश्यक हो। पूर्व न्याय (RESJUDICATA) का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। हमारा मत है कि पूर्व न्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसका विनिश्चयन साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्व न्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विवचना, जवाब दावा एवं दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव हैं। बिना साक्ष्य का अवसर दिये, प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही विधिक नहीं मानी जा सकती है। तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु, साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णित किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज करना उचित नहीं है। अगर वादपत्र के अभिवचनों से ही दावा चलने योग्य नहीं है तो बिना जवाबदावा भी आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा सकता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादपत्र को पढने मात्र से यह प्रतीत नहीं होता है कि दावा विधि से वर्जित है। प्रतिवादी/रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में यह तर्क कि पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया गया है। इस आपत्ति के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा मत है कि ऐसी आपत्ति, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में उठाई जा सकती है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि आदेश 07 निमय 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत, अधीनस्थ न्यायालय का वाद को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2015 अपास्त किये जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। साथ ही पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.11.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

04.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर